

के. मदलैमुथु और ए. एन. आर.

बनाम

तमिलनाडु और ओ. आर. एस. का राज्य।

27 फरवरी, 2007

[डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 129-अवमानना याचिका-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा और अनादर के आक्षेप को स्वीकार करना-इस बीच जब याचिकाकर्ताओं को परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया और न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया, कथित अवमानकों द्वारा दी गई अयोग्य और बिना शर्त माफी को देखते हुए, अवमानना याचिका का निपटारा न्यायालय की अवमानना के रूप में किया जाता है।

सेवा कानून-तमिलनाडु पंजीकरण सेवा-पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक के कैडर में पदोन्नति।

याचिकाकर्ताओं ने अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 4.7.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश का अनादर। यह भी प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ताओं के लिए एक कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत करने वाले कथित अवमानकों

द्वारा पारित 25.7.2006 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और अवमानकर्ताओं को दिनांकित 4.7.2006 के फैसले के संदर्भ में वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने और याचिकाकर्ताओं को तमिलनाडु पंजीकरण सेवा में पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाए।

इस बीच याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत किया गया और 4.7.2006 दिनांकित आदेश का पूरी तरह से पालन किया गया। कथित अवमानकर्ताओं ने अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था और आदेशों के कार्यान्वयन में केवल प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी के कारण देरी हुई।

अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

माफीनामा वास्तविक प्रतीत होता है। चूंकि प्रतिवादियों ने मामले पर नरमी से विचार करते हुए और उनकी उम्र और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हुए अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है, इसलिए अवमानना याचिका का निपटारा के. मदालईमुथु बनाम तमिलनाडु राज्य (लक्ष्मण, जे.) 395 को स्वीकार करके किया जाता है।

अदालत में और हलफनामों में उनकी बिना शर्त माफी दी गई। बार में दिया गया बयान कि पदोन्नति के परिणामस्वरूप वेतन और अन्य

परिणामी लाभ याचिकाकर्ताओं को नियमों के अनुसार दिए जाएंगे, रिकॉर्ड में रखा गया है।{पैरा 12 और 13}

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय

2006 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 208 में 2002 की सिविल
अपील सं. 2791-2793

(1999 के रिट याचिका संख्या 16806/98,1548 और 1549 में मद्रास
उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 24.12.2001 से।)

याचिकाकर्ताओं के लिए के. राममूर्ति, बी. बालाजी और सत्य मित्र गर्ग।

उत्तरदाताओं के लिए सोली जे. सोराबजी, अल्ताफ अहमद, वी. जी. प्रगसम,
एस. वल्लीनायगम और एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन।

हस्तक्षेप करने वालों के लिए पी. आर. कोविलन पूंगुन्नन, वी. वासुदेवन,
नरेश कुमार, एस. रविशंकर, आर. यमुना नचियार, विदुशी टंडन।

न्यायालय का निर्णय इनमें द्वारा दिया गया था

डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे.

1.हमने याचिकाकर्ताओं के लिए श्री रामामूर्थी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सोली जे. सोरबजी और श्री अल्ताफ अहमद, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना है।

2. उपरोक्त अवमानना याचिका श्री के. मण्डलईमुत्थु और श्री ए. आरुमुगा नैनार द्वारा श्री एम. देवराज, IAS और श्री एम. मुत्थुसामी, IASF के खिलाफ जानबूझकर, जानबूझकर अवज्ञा करने और निर्णय और आदेश दिनांक 04.07.2006 का अनादर करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर की गई थी। इस न्यायालय द्वारा सीए No.2791-2793/2002 में पारित किया गया और इस न्यायालय के उक्त आदेश के कथित उल्लंघन, अवज्ञा और अनादर के लिए प्रतिवादी-प्रतियोगियों को दंडित किया गया। अवमानकों द्वारा दिनांकित 25.07.2006 द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करने के लिए भी एक और अनुरोध किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं में से कनिष्ठ को पहले अवमानक के अतिरिक्त महानिरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नत किया गया था और आदेश दिनांक 10.08.2006 जिसके द्वारा उक्त कनिष्ठ को मौजूदा रिक्तियों में पंजीकरण के अतिरिक्त निरीक्षक के संवर्ग में अतिरिक्त पंजीयक के रूप में तैनात किया गया था।

3.तीसरा अनुरोध अवमानकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा C.A.No.2791-2793/2002 में पारित निर्णय 04.07.2006 के संदर्भ में वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण करने और याचिकाकर्ताओं को तमिलनाडु पंजीकरण सेवा में

पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक के कैंडर में पदोन्नत करने का निर्देश देना है।

4.नोटिस की तामील पर, दोनों उत्तरदाता अंतिम अवसर पर हमारे सामने पेश हुए हैं।

5. प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में देरी के बारे में बताते हुए आई. ए. एस. के माध्यम से जवाबी हलफनामा दायर किया है।पैरा 3 में, श्री देवराज ने अपनी कार्रवाई के लिए बिना शर्त माफी मांगी है।हलफनामे के अंतिम भाग में, उन्होंने कहा है कि इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था और आदेशों के कार्यान्वयन में केवल प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी के कारण देरी हुई थी।यह आगे कहा गया है कि प्रतिवादी विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को बहुत उच्च सम्मान और अक्षर और भावना के साथ लागू कर रहे हैं।

6. उक्त शपथपत्र के पैरा 6 में, उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों का पालन करने में देरी के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त किया और यह उक्त शपथपत्र के पैरा में उल्लिखित कारणों के कारण हुआ है। यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का उनका इरादा कभी नहीं था और वे इस न्यायालय और उसके आदेशों का बहुत सम्मान करते हैं।

7. समापन भाग में, उन्होंने एक बार फिर अपनी अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगी और प्रार्थना की कि प्रत्यर्थियों की कार्रवाई को इस न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाए और इस अवमानना कार्यवाही को समाप्त किया जाए।

8. हमने Department-G.O द्वारा पारित आदेशों का भी अवलोकन किया है। (सुश्री) No.151 dt.24.11.2006 (अनुलग्नक आर -1) वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग द्वारा जारी किया गया और पंजीकरण महानिरीक्षक की कार्यवाही भी (अनुलग्नक आर -2) dt.24.11.2006 में Mr.M.Devaraj, आई. ए. एस. के माध्यम से उत्तरदाताओं की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर जी दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर के लिए प्रतिवादियों की ओर से एक और जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। उक्त हलफनामे में देरी के कारणों को भी समझाया गया है।

9. तमिलनाडु सरकार, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण Department-G.O द्वारा पारित आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। (एम.एस.) एच No.30 dt.19.01|2007 Tvl.K.Madalaimuthu के. मदलैमुथु बनाम तमिलनाडु राज्य [लक्ष्मणन, जे.] 397 की वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के संबंध में और उच्च पद और ए. जी. ओ. के संबंध में संबंधित पैनल में A.Arumuga नैनार। (एम.एस.) No.31 dt.19.01|2007-थिरु K.Madalaimuthu को पंजीकरण महानिरीक्षक के

कार्यालय में पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक (खुफिया) के रूप में पदोन्नत करना।

10. हमारा ध्यान जी. ओ. की ओर भी खींचा गया। (एम. एस.) 53, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग, दिनांक 17.02.2007 और विशेष रूप से पृष्ठ 171 बी पर पैरा 4 जो इस प्रकार है:

"4. तमिलनाडु राज्य के सामान्य नियम 48 और तमिलनाडु सेवा नियमावली, 1987 के भाग-II, खंड-1 में शामिल अधीनस्थ सेवाओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु पंजीकरण सेवा के लिए विशेष नियम में ढील दी है, जिसमें थिरु A.Arumuga नैनार के पक्ष में अतिरिक्त आई. जी. आर. के पद पर पदोन्नति के लिए पंजीकरण उप महानिरीक्षक के पद पर दो साल की सेवा की आवश्यकता है, ताकि उन्हें पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा सके। नतीजतन, थिरु ए. अरुमुगा नैनार का वेतन मौलिक नियम-27 के तहत निर्णय 17 के तहत तय किया जाए।"

11. नतीजन, दूसरे याचिकाकर्ता थिरु A.Arumuga नैनार को पदोन्नत किया गया और पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई के कार्यालय में पंजीकरण के अतिरिक्त महानिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया। इस प्रकार यह देखा

गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अब पूरी तरह से पालन किया गया है, हालांकि देर से। अंतिम अवसर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में लाया कि याचिकाकर्ताओं को उनके आधिकारिक उपयोग के लिए कोई कार और कार्यालय कक्ष प्रदान नहीं किया गया है। आज, जब मामले को सुनवाई के लिए लिया जाता है, तो पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई 28 No.4428/F2/2007 dt.23.02.2007 द्वारा कार्यवाही जारी की जाती है, को हमारे सामने रखा गया था। उक्त कार्यवाही इस प्रकार है:

"(1) आधिकारिक उपयोग के लिए थिरु जयरामन नामक चालक के साथ No.TN 22G 0356 वाली एक बोलेरो कार अतिरिक्त पंजीकरण महानिरीक्षक (खुफिया) को आवंटित की जाती है। तीसरी मंजिल के दक्षिणी छोर पर स्थित कार्यालय कक्ष उनके आधिकारिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।

(2) आधिकारिक उपयोग के लिए अतिरिक्त पंजीकरण महानिरीक्षक (डाक टिकट और पंजीकरण) को थिरु चिन्नासामी नामक चालक के साथ No.TN 07AG 1234 वाली एक बोलेरो कार आवंटित की जाती है। तीसरी मंजिल के उत्तरी छोर पर स्थित कार्यालय कक्ष उनके आधिकारिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।"

12.प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील Mr.Soli J.Sorabjee और श्री अल्ताफ अहमद ने भी इस न्यायालय को सूचित किया है कि पदोन्नति के परिणामस्वरूप वेतन और अन्य परिणामी लाभ याचिकाकर्ताओं को नियमों के अनुसार दिए जाएंगे।विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिया गया बयान रिकॉर्ड में रखा जाता है।

13.हमने प्रत्यर्थियों द्वारा अपने हलफनामे में दी गई माफी का अध्ययन किया है। माफीनामा वास्तविक प्रतीत होता है।चूंकि प्रत्यर्थियों ने अवमानना को खारिज कर दिया है और मामले पर नरमी से विचार किया है और उनकी उम्र और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हुए, हम अदालत में और हलफनामों में की गई उनकी बिना शर्त माफी को स्वीकार करके अवमानना याचिका का निपटारा करते हैं।अवमानना याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया जाता है।

आर. पी.

अवमानना याचिका का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।